# न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

**पीठासीन अधिकारीः—** गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

**भरण पोषण अपील संख्याः GCMS No.-2024/561**

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थीगण |
|---|---|---|
| 1— करण सिंह परिहार पुत्र स्व. जगदीश सिंह परिहार, निवासी कुडी भगतासनी, जोधपुर | | 1—राजेश परिहार पुत्र करण सिंह परिहार<br>2—ज्योत्सना उर्फ नेहा पत्नी राजेश परिहार निवासी सुभाष मार्ग, संतोषपुरा, मसूरिया, पाल रोड़, जोधपुर |

**अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.12.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) द्वारा प्रकरण संख्या 133/2022 बअनवान करण सिंह बनाम राजेश कुमार व अन्य में पारित किया गया।**

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी अनुपस्थित।
2—प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित।

## आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5(1) (क) (ख), माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2023 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी को मकान में प्रवेश दिलवाने एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी के साथ लड़ाई—झगड़ा, गाली गलौच व मारपीट नही करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/561) कर प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–1 को नोटिस दिनांक 23.12.2024 व प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 को नोटिस दिनांक 19.12.2024 को जरिये स्पीड पोस्ट तामिल हुआ। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–2 दिनांक 24.12.2024 को कार्यालय उपस्थित हुए। सुनवाई दिनांक 18.02.2025 को उपस्थित अपीलार्थी/प्रार्थी व प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 क्रमशः उसका पुत्र व पुत्रवधु है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में कहा गया कि अपीलार्थी के पुत्र एवं पुत्रवधु के कारण उनका व उनकी पत्नी का जीवन स्वास्थ्य संकट में गया क्योकि पुत्रवधु आये दिन लडाई झगडा, गाली गलौच व अभद्र व्यवहार करते है इस कारण प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को अपीलार्थी/प्रार्थी अपने मकान में नहीं रखना चाहता है तथा पुत्रवधु ने जबरन अपीलार्थी/प्रार्थी के मकान में कब्जा कर लिया है जिस कारण पुत्र व पुत्रवधु को उक्त मकान से बेदखल किया जावे। अप्रार्थीगण अपीलार्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते है व जान से मारने की धमकी भी देते है इसलिये उनके साथ रहना संभव नहीं है। बहस के अंत में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल कर कब्जा दिलाने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अपनी बहस/जवाब प्रार्थना पत्र में बतलाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–1 से मिली भगत करते हुए अपने द्वारा किये गये अपराध व दहेज प्रताड़ना इत्यादि से बचने व अन्य मुकदमों से बचने के लिये प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 को मकान से बेदखल करने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र दायर किया। कभी भी अपीलार्थी को मकान से बेदखल नही किया गया, स्वयं उनके द्वारा जानबूझकर घर को त्याग किया गया और राजेश परिहार अपने दायित्व से बचने व उसको गायब कर उक्त वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का दुरूपयोग कर मुझ पीडित महिला को एक मात्र रहवास के सहारे से बेदखल करने के उद्वेश्य से उक्त कानूनी कार्यवाही की गई है जबकि प्रत्यर्थी/अप्रार्थी– 2 द्वारा प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया, यही नही प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–1 ने झूठे तथ्यो के आधार पर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या/2 के विरूद्ध धारा 13 ए हिन्दू विवाह अधिनियम तलाक हेतु याचिका दायर की, जिसकी तामिल भी अदालत तरीके से करवाई गई, जिसकी भी कार्यवाही उदयमन्दिर पुलिस थाना,

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जोधपुर में की गई, जिसमें बयान दिये गये कि मुझे कोई नोटिस तामिल हुआ, न ही नेहा नाम से कोई हस्ताक्षर किये। इस तरह जानबूझकर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 को तंग परेशान व एक मात्र उसके रहवास के सहारे से बेदखल करने के उद्वेश्य से कानूनी उपचार प्राप्त कर यह कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की गई, जिसमें अपील में वर्णित आधार जानबूझकर गलत तरीके से अंकित किये है। साथ ही घरेलू हिंसा के प्रकरण जो कि एसीजेएम संख्या–3, जोधपुर में विचाराधीन है, जिसमें भी प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–1 व अपीलार्थी का एक ही वकील है और दोनो एक ही साथ उपस्थित होते है, जिससे भी इन दोनो की मिलावट साबित है। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 का एक मात्र सहारा उक्त मकान ही है, जिससे जानबूझकर अपीलार्थी इस अधिनियम की आड में बेदखल करवाना चाहते है, जबकि स्वयं अपीलार्थी अपने व अपने पुत्र व परिवार द्वारा किये गये अपराध से बचने के लिये सुनियोजित षडयंत्र के तहत घर का त्याग कर दिया है और अब इस अधिनियम का दुरूपयोग कर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या –2 को बेदखल करने पर आमदा है। प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 आज भी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–1 के साथ रहने को तैयार है, लेकिन वे जानबूझकर इस मकान में नही आकर अब इस अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट को बेदखल करवाकर उसका सारा जीवन बर्बाद करना चाहते है। बहस के अंत में प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अपील में मुख्य रूप से प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का निवेदन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1) में "धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन निम्न द्वारा किया जा सकता है– (क) वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक यथास्थिति द्वाराः या (ख) यदि वह असमर्थ हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वाराःया (ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान हो सकता है" का प्रावधान है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिश्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रार्थी व प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अधिकरण का आदेश हस्तक्षेप योग्य नही है अतः अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)